



कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास नधि

प्रलिस के लयि:

कॉर्पोरेट ऋण के लयि गारंटी योजना, कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास नधि, [भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड \(सेबी\)](#), कॉर्पोरेट ऋण के लयि गारंटी नधि (GFCD)

मेन्स के लयि:

कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार में CDMDF की भूमिका, [भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड \(सेबी\)](#)

चरचा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास नधि (Corporate Debt Market Development Fund- CDMDF) द्वारा उठाए गए ऋण के लयि गारंटी कवर प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट ऋण के लयि गारंटी योजना (Guarantee Scheme for Corporate Debt- GSCD) को मंजूरी दे दी है, जसिका उद्देश्य दबाव के समय में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार को स्थिर करना है।

- [भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड](#) (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने योजना के संचालन और एवं फंड के प्रबंधन के लयि दशा-नरिदेश जारी कयि हैं।

कॉर्पोरेट ऋण के लयि गारंटी योजना (GSCD):

- कॉर्पोरेट ऋण के लयि गारंटी योजना, कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास नधि द्वारा उठाए गए ऋण के लयि पूरण गारंटी कवर प्रदान करता है।
- GSCD का प्राथमिक उद्देश्य नविशकों का वशिवास बढ़ाना और कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार को स्थिरता प्रदान करना है।
- GSCD का प्रबंधन कॉर्पोरेट ऋण के लयि गारंटी फंड (GFCD) द्वारा कयि जाता है।
 - GFCD आर्थिक मामलों के वभाग (Department of Economic Affairs- DEA) द्वारा गठित और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट फंड है, जो वतित मंत्रालय के तहत वततीय सेवा वभाग के पूरण स्वामति वाली कंपनी है।
- इस योजना को बाज़ार अव्यवस्था के दौरान CDMDF द्वारा नविश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतभितियों के कर्य करने के लयि डिज़ाइन कयि गया है।
 - नविश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतभितियों उन कंपनियों द्वारा जारी कयि गए बॉण्ड या नोट होते हैं जनिमें डिफॉल्ट/कमी पाए जाने का जोखमि कम होता है और क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होती है।
- GSCD द्वारा प्रदान कयि गया गारंटी कवर यह सुनिश्चित करता है कि नविशक, नविश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतभितियों से संबंधित संभावित जोखमिों से सुरक्षित हैं।
- CDMDF द्वतीयक बाज़ार की तरलता/चलनधि को बढ़ाता है जो GSCD के अंतर्गत सुनिश्चित प्रतभितियों को कर्य करने और कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार की समग्र स्थिरता का समर्थन करता है।

कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास नधि (CDMDF):

- CDMDF भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थापित एक वैकल्पिक नविश नधि है, इसे एक क्लोज़-एंडेड योजना के रूप में लॉन्च कयि जाएगा।
- CDMDF, नविश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतभितियों के लयि बैकस्टॉप सुवधि के रूप में कार्य करता है, जो स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ बाज़ार में नविश के लयि नविशकों का वशिवास बढ़ाता है।
- CDMDF म्यूचुअल फंड के लयि 33,000 करोड रुपए की बैकस्टॉप सुवधि प्रदान करता है। इसमें सरकार 30,000 करोड रुपए का योगदान देने

के साथ-साथ परसिंपत्त प्रबंधन कंपनियों को बकाया 3,000 करोड़ रुपए प्रदान करेंगी।

- CDMDF का उद्देश्य एक स्थायी संस्थागत संरचना का निर्माण कर द्वितीयक बाज़ार की तरलता/चलनधिका बढ़ाना है, जिसबाज़ार में बढ़ने वाले दबाव (Market Stress) की अवधि के दौरान सक्रिय किया जा सकता है।
- यह फंड बाज़ार की अव्यवस्था के समय नविशकों के लिये सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार को समर्थन एवं स्थिरता प्रदान करता है।

CDMDF के लिये SEBI दशा-नरिदेश:

■ नविश:

- सामान्य बाज़ार स्थितियों के दौरान CDMDF कम अवधि की सरकारी प्रतभूतियों (Government Securities/G-sec), ट्रेज़री बिल और सात दिनों से अधिक की परपिक्वता अवधि वाले गारंटीकृत कॉर्पोरेट बॉण्ड रेपो से नपिटने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- बाज़ार अव्यवस्था का अनुभव होने पर CDMDF नविशकों के लिये सुरक्षा जाल प्रदान करते हुएनविश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतभूतियों को खरीदने के लिये कदम उठाता है।

- बाज़ार अव्यवस्था के दौरान म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा CDMDF को बेची गई कॉर्पोरेट ऋण प्रतभूतियों को रक्वेस्ट फॉर कोट (Request for Quote- RFQ) प्लेटफॉर्म पर नषिपादति व्यापार के रूप में माना जाएगा।

■ योग्य प्रतभूतियाँ:

- CDMDF केवल पाँच वर्ष तक की शेष परपिक्वता अवधि वाली सूचीबद्ध कॉर्पोरेट ऋण प्रतभूतियों को खरीदने के लिये अधिकृत है।
- बहषिकरण की शरत:
 - फंड असूचीबद्ध, नविश-ग्रेड से नीचे, या डफिॉल्ट ऋण प्रतभूतियों को प्राप्त करने से परहेज करता है।
 - ऐसी प्रतभूतियाँ जो डफिॉल्ट या प्रतकिलू क्रेडिट समाचार या वचिारों की भौतिक संभावना प्रस्तुत करती हैं, उन्हें भी बाहर रखा गया है।

■ उचित मूल्य नरिधारण तंत्र:

- CDMDF पारदर्शिता एवं बाज़ार स्थिरता सुनश्चिति करने के लिये तरलता जोखमि, ब्याज दर जोखमि तथा क्रेडिट जोखमि को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर प्रतभूतियाँ खरीदता है।
 - इसके तहत खरीदारी अथवा व्यापार उचित मूल्य पर किया जाता है, न कि संकटापन्न मूल्य (Distress Price) पर।
- बाज़ार के स्थिर होते ही प्रतभूतियों की बिक्री लाभ के लिये की जाने लगती है, जिसका लक्ष्य उधार को जल्द-से-जल्द कम करना होता है।

■ सदस्यता और योगदान:

- CDMDF की इकाइयों को म्यूचुअल फंड की परसिंपत्त प्रबंधन कंपनियों (Asset Management Companies- AMCs) और नरिदषिट ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है।
- CDMDF के संचालन का समर्थन करने के लिये वशिषिट ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं के AMCs प्रबंधन के तहत उनकी परसिंपत्त के दो आधार अंकों (basis points- bps) के बराबर एकमुश्त योगदान करते हैं।

■ कार्यकाल:

- 15 वर्ष के शुरुआती कार्यकाल के साथ CDMDF को एक क्लोज़्ड-एंडेड योजना के रूप में लॉन्च किया जाएगा।
- SEBI के सहयोग से आर्थिक कार्य वभिाग (Department of Economic Affairs- DEA) के पास इसके वसितार संबंधी नरिणय लेने की शक्ति होगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. पंजीकृत वदिशी पोर्टफोलियो नविशकों द्वारा उन वदिशी नविशकों, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाज़ार का हसिसा बनना चाहते हैं, को नमिनलखिति में से क्या जारी किया जाता है? (2019)

- (a) जमा प्रमाण-पत्र
- (b) वाणजियकि पत्र
- (c) वचन-पत्र (प्रॉमसिसरी नोट)
- (d) सहभागिता पत्र (पार्टसिपिटरी नोट)

उत्तर: (d)

